

आदेश पत्रक

केश का प्रकार - दाखिल खारीज

अभिलेख संख्या - 252/16-17

आदेश की  
क्रम संख्या  
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गई कार्रवाई के  
बारे में टिपण्णी  
तारीख सहित

12/5/16

श्री. श्री. कबीरका देवी पिता श्री. कबीरका देवी

ग्राम रकामुंडा अंचल देवरी जिला

गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्यौरे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री श्री. देवान महतो

पिता श्री. भूपत महतो ग्राम रकामुंडा

अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 12197

दिनांक 7.8.81 के द्वारा क्रय किया गया है।

ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
<u>रकामुंडा</u>	<u>249</u>	<u>9</u>	<u>1051</u>	<u>2050</u>

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।

अभिलेख दिनांक 27.5.16 को उपस्थापित करें।  
 श्री. कबीरका देवी का प्रतिनिधित्व श्री. कबीरका देवी द्वारा किया गया है।  
 आवेदन पत्र श्री. कबीरका देवी द्वारा श्री. कबीरका देवी के निष्पादित हेतु श्री. कबीरका देवी द्वारा लिखापत्र है।

[Signature]  
अंचल अधिकारी,  
देवरी।

[Signature]  
अंचल अधिकारी,  
देवरी।

30/5/2016

अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपति नहीं दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होंने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरूआ खास/ रैयती/ बकास्त/ खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी ॥ के भेलूम संख्या IV के पृष्ठ संख्या 41 पर विक्रेता स्वयं गुरुदेभाज माला का नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एवं सैरात से बाहर है जमीन पर क्रेता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण क्रेता श्री/श्री मति राजीव देवी पिता/पति सोनी सूर्यवर्मा ग्राम स्वामुख के नाम किया जाता है।

ग्राम	थाना न०	प्लॉट न०	रकबा	माल
स्वामुख	249	1051	20570	4048

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संसोधित

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

Handwritten signature and notes on the right margin.